साहिबगंज नगर परिषद,
ट्रेड लाईसेन्स संबंधी आम सूचना

पत्रांक.–1763 दिनांक–11/7/2017/

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक संख्या–4172 दिनांक–4.7.17 एवं 4191 दिनांक–5.7.17 के आलोक में साहिबगंज नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत व्यापार करने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स) विनियमावली 2017 लागू किया गया है। जिसके तहत् झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 (अध्याय–40) के अनुसार शहरी क्षेत्र के अंदर व्यापार करने के पूर्व स्थानीय नगर निकाय यथा–नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/नगरपालिका से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक होगा। बिना नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स)के किसी भी भवन का गैर आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 154 एवं 155 (अध्याय–17) में शहरी निकायों द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति लाईसेन्स जारी करने/नवीकरण करने हेतु शुल्क का निर्धारिण व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किये जा रहे स्थान के क्षेत्रफल के अनुसार होगा जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में)	दर प्रतिवर्ष (रूपये में)
1.	100 तक	300/–
2.	101 से 500 तक	500/–
3.	501 से 1000 तक	1500/–
4.	1000 से अधिक	2500/–

उक्त किये गये प्रावधानों के अनुसार साहिबगंज नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत व्यापार करने वाले व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2017--18 हेतु अपना–अपना व्यापार अनुज्ञप्ति लाईसेन्स विहित प्रपत्र में सही–सही भर कर दिनांक–31.07.2017 तक ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन तथा निर्धारित शुल्क अदा किया जा सकता है। जिसके उपरान्त कार्यालय द्वारा सत्यापन कर लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा। सत्यापन के दौरान सूचना गलत पाये जाने पर दण्ड सहित कार्रवाई की जायेगी।

निर्धारित समय तक फार्म जमा नहीं करने वाले व्यक्तियों को लंबित बकाया जुर्माना सहित वसूल किया जायेगा अथवा दुकान आदि शील करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए नगर परिषद् कार्यालय, साहिबगंज से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।

इसे व्यापार हित में अत्यावश्यक समझा जाय।

10.07.17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, साहिबगंज।

ज्ञापांक 1762/ साहिबगंज, दिनांक– 11/7/2017

प्रतिलिपि– **निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण,** नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ उपायुक्त, साहेबगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ माननीय सभी वार्ड पार्षद, साहिबगंज नगर परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा नोटिस बोर्ड पर आम सूचना प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संपादक, दैनिक समाचार पत्र, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

10.07.17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, साहिबगंज।